



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 675/2026

अमर सिंह एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : महेश शर्मा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश शर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्तागण की शिकायत यह है कि वे 11.09.1997 को मौसमी संग्रह अमीन, 15.07.1988 को याचिकाकर्ता संख्या 2, 30.12.1988 को याचिकाकर्ता संख्या 3, 18.01.1993 को याचिकाकर्ता संख्या 4 के रूप में लगे हुए थे। रिट याचिकाकर्तागण ने कलेक्शन अमीन के रूप में नियमितीकरण पर अवशोषण का दावा किया है क्योंकि उनके अनुसार, तीसरे प्रत्यर्थी, जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा आयु में छूट के लिए 29.09.2025/30.10.2025 को पुनर्विचार भेजा गया है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रत्यर्थी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा रिट याचिकाकर्ता को **12.02.2026** तक दूसरे प्रत्यर्थी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान अनुभाग-7, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, दूसरा प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर फैसला करेगा।

21 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)